अति महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वनसंरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर (चमोली)।

प्र०वन्यजीव
उ०नो०वा०वा०

विषयः-चमोली के अन्तर्गत बुगीधार-मेहलचौरी-वछवावाण मोटर मार्ग के कि0मी0 256 है0 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण। **FP/UK/ROAD/10762/2015**

प०क्र०
21/8/17

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा दी गयी बिन्दुओं पर सूचना माँगी गई थी। परन्तु आपके स्तर से उन इन बिन्दुओ के स्थान पर कुछ और ही सूचना आनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। इस समबन्ध में सूचित करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट ।। में सही सूचना अपलोड करे बिना ही प्रस्ताव को अग्रसारित किया जा रहा है। जिसके क्रम में उक्त प्रकरण को इस कार्यालय द्वारा सूचना पूर्ण रूप न दिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार बार वापस लोटाया जा चुका है। परन्तु फिर भी न तो प्रयोक्ता एजेन्सी / प्रभागीय वनाधिकारी एवं आपके द्वारा इस ओर ध्यान न देकर मात्र एक औपचारिक्ता निभाते हुए सूचना इस कार्यालय का अग्रेसारित की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है, आपको कई बार भारत सरकार द्वारा लगाई गई निम्नलिखित कमियों के निराकरण हेतु आनलाईन पत्र भेजा जा चुका है। परन्तु फिर भी आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण किये बिना ही प्रस्ताव को पुनः मात्र औपचारिकता निभाते हुए इस कार्यालय को अग्रासारित किया गया है जो कि घोर लापरवाही का सूचक है। भारत सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना पूर्ण रूप से उपलब्ध न कराये जाने के कारण घोर अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तथा प्रकरणो को वापस लौटाया जा रहा है। कृपयः भविष्य में यह सुनिचित किया जाए की भारत सरकार / इस कार्यालय द्वारा वान्छित विन्दुओं की पूर्ण बिन्दुवार सूचना उपरोक्त उलिखित के अनुसार ही इस कार्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करे।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे गये बिन्दुओं की बिन्दुवार सूचना आपके द्वारा किस पार्ट के किस कॉलम के किस स्थान में अपलोड की गई है, की स्पष्ट सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराते हुये हार्ड प्रति में भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके. भारत सरकार द्वारा वान्छित सूचना पुनः संलग्न की जा रही है।

1- In reply to point no-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-8 of EDS dated 18-05-2016, the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable. Furhter, the DFO has mentioned that the same has been corrected but, the working plan prescription are still not given in para-5 of online part II in respect of 2.38ha of RF land proposed for diversion.

2- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 and point No-9 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of mitigative measure to be implemented has not been submitted/ attached with the reply.

3- In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 & point N0-10 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil land panchayat land and the affect of Leopard etc is negligible in the area Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part II that 2.38ha of Reserve Forest land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.

4- The reply of point No-2 of EDS dated 24-05-2016 has not been submitted by the State Govt, wherein it was informed tat the DSS analysis of thearea proposed for CA revealed that 1.00ha area is falling in very dense forest which is not considered suitable for CA. State Govt. was asked to change the 1.00ha area proposed for CA in some other suitable area.

पत्रांक 711 / 12-1 दि० 21/08/2017
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को तत्काल उपयुक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी